

25/07/22 पत्रावली पेश हुवा है। पूर्व आदेशानुसार  
वकील पक्षकारानं उप है। पूर्व आदेशानुसार  
पत्रावली दिनांक 23/09/22 को पेश

23/9/22 पत्रावली पेश हुवा वकील वादी  
अनु. है। वकील वादी को वाद-2 अलग  
दिलवाया गया परंतु वकील वादी  
उपस्थित न होने के कारण वादी को  
वाद 0923 जारी के आधार पर  
पत्रावली पत्रावली के माध्यम से  
54 नम्बर से कर हो आदेश  
दुप-पत्रावली के अन्तर्गत



उपरवर्त अधिकारी  
साँभर लोक